

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 27/02/2017

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2017 द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को उन्हें आवंटित आवास के स्थान पर आवास का परिवर्तन किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	सेवानिवृति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	डॉ० (श्रीमती) रजनी वर्मा, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कराबी औषधालय, सरनाडूंगर, जयपुर	6600/-	45	21/2016	30.06.2026	ए-1-8, बजाजनगर अपार्टमेन्ट के स्थान पर ए-2, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

आवंटन की शर्तें विभाग के उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2017 के अनुसार रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(इन्द्र सिंह राव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि० विभाग, (विधुत वृत) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: 27/03/2017

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2017 द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश एवं दिनांक 08.03.2017 द्वारा निम्नलिखित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर आवंटित आवास का कब्जा अवधि तीन दिवस तक बढ़ाई गई थी, किन्तु निम्न अधिकारी द्वारा आवास का कब्जा प्राप्त नहीं किये जाने के कारण उन्हें आवंटित आवास का आवंटन तत्काल प्रभाव से **निरस्त** किया जाता है:-

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवास संख्या
1	शकुन्तला चौधरी, डेमोग्राफी (डीडी), निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर	ए-2, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

राज्यपाल की आज्ञा से



(इन्द्र सिंह राव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, (विधुत वृत) जयपुर ।
5. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर ।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर ।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर ।
10. संबंधित अधिकारी ।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग ।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि ।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग ।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें ।
15. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव